

राजस्थान सरकार

चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण निदेशालय, राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक:-सस्था/चि0अ0/एटी/प01/2008/151

दिनांक- 19/09/08

:- आदेश :-

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर की सिफारिश पर वर्ष 2008 में चिकित्सा अधिकारी के पद पर दयनित निम्नलिखित अभ्यर्थियों को चिकित्सा अधिकारी के पद पर वेतनमान 8000-275-13500 में कार्मिक विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ7(2)डीओपी/ए-11/2005 दिनांक 20/01/06 के प्रावधानान्तर्गत राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दरों पर नियत पारिश्रमिक (Fixed Remuneration) रूपये 7950/- प्रतिमाह की दर पर अस्थाई रूप से दो वर्ष के प्रोबेशन काल पर कार्यग्रहण करने की तिथि से नियुक्ति प्रदान कर इनका पदस्थापन उनके नाम के सम्मुख अंकित स्थानों पर किया जाता है:-

क्रम सं०	नाम चिकित्सा अधिकारी व पता	मेरिट सं.	जन्मतिथि	वर्ग	पदस्थापन स्थान
1.	डा. निखिल कुमार अग्रवाल रिनी हॉस्पिटल सन्तर रोड, धौलपुरा (राज.) 328001	15	30-07-74	Gen-M	सामु0स्वा0केन्द्र बसईनवाब (धोलपुर)
2.	डा. ओम प्रकाश, पुत्र श्री भंवर राम, गांव गगवाना, वाया रोल, तह. नागोर (राज.) 341027	31	02-01-78	Gen-M	प्रा0स्वा0केन्द्र बालसमन्द (नागौर)
3.	डा. अल्का अग्रवाल, पुत्री श्री ताराचन्द अग्रवाल, मकान नं. 368, स्कीम नं. 3, वंसत विहार, अलवर (राज.)	35	12-04-81	Gen-F	प्रा0स्वा0केन्द्र सिहोड (झुन्झुनू)
4.	डा. रामेश्वर लाल सुथार अस्पताल के पास, पीपाड शहर, जोधपुर - 342601	71	10-05-79	Gen-M	प्रा0स्वा0केन्द्र बिराई (जोधपुर)
5.	डा. सुनिल शर्मा, 103, पटेल नगर, खातीपुरा रोड, झोटवाडा, जयपुर-302012	107	21-05-70	Gen-M	प्रा0स्वा0केन्द्र पहाडसर (भरतपुर)
6.	डा. राकेश अग्रवाल, मकान नं. डी-99, वंशाली नगर, जयपुर - 302021	110	27-07-75	Gen-M	प्रा0स्वा0केन्द्र वल्लभगढ (भरतपुर)
7.	डा. रामनारायण जाट, पुत्र श्री महावीर प्रसाद चौधरी, शाहपुरा रोड, पोस्ट-अजीतगढ़, जिला सीकर-332701	112	07-07-76	OBC-M	प्रा0स्वा0केन्द्र कोछोर (सीकर)
8.	डा. सुनिता कुलदीप, यू.जी. मेडिकल गर्ल्स हॉस्टल, पी.बी.एम. हॉस्पिटल के पीछे, बीकानेर	184	31-07-80	SC-F	प्रा0स्वा0केन्द्र मथानिया (जोधपुर)
9.	डा. मुकेश कुमार कुलदीप, सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज हॉस्टल नं. 2. कमरा नं. 2, बीकानेर-334001	191	05-07-82	SC-M	प्रा0स्वा0केन्द्र मिठडऊ (बाडमेर)
10.	डा. मुकेश चन्द मीणा, पी.जी. बॉयज हॉस्टल, रूम नं. 124, जे. एल.एन. हॉस्पिटल, अजमेर	198	02-07-77	ST-M	सामु0स्वा0केन्द्र जवाजा (अजमेर)
11.	डा. श्याम सुन्दर बैरवा, पुत्र श्री गोपी लाल बैरवा, पी.ए.एस.बी.सी.ओ. मुख्य डाक घर, टॉक-304001	228	01-07-81	SC-M	सामु0स्वा0केन्द्र पण्डेर (भीलवाडा)

2

12.	डा. भारती पालीवाल, मकान नं. 1060/14, इसाई मोहल्ला, सरदार कॉलोनी, रेल्वे अस्पताल के पास, अजमेर	251	08-09-81	SC-F	सामु0स्वा0केन्द्र काछोला (भीलवाडा)
-----	---	-----	----------	------	------------------------------------

परिवीक्षा प्रशिक्षण अवधि में अन्य सुविधायें एवं अवकाश आदि राजस्थान सेवा नियमों आदि में संशोधित प्रावधानों के अनुसार देय होंगे। परिवीक्षा प्रशिक्षण अवधि के संतोषजनक पूर्ण होने के उपरांत ही पद की वेतन शृंखला का न्यूनतम एवं अन्य भत्ते नियमानुसार देय होंगे। अंशदायी पेशान योजना परिवीक्षा अवधि पूर्ण होने के बाद लागू होगी।

राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें (संशोधन) नियम, 2000 के नियम 22-क के तहत इन्हें चिकित्सा अधिकारी के पद पर कार्यग्रहण करने के तुरंत पश्चात 3 वर्ष की कालावधि के लिये ग्रामीण क्षेत्र में सेवा करनी अनिवार्य होगी।

उपरोक्त चिकित्सकों की जन्म तारीख उनके सैकण्डरी/हाई स्कूल के प्रमाण पत्रों से संबंधित प्रशासनिक अधिकारी द्वारा सत्यापित की जानी है।

उक्त चिकित्सकों की नियुक्ति सक्षम चिकित्सा अधिकारी से प्राप्त शारीरिक स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के अध्यक्षीन है। दिनांक 01/06/02 को या उसके पश्चात दो से अधिक संतान वाले अभ्यर्थी नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होंगे।

इन्हें आदेश प्रसारित होने की तिथि से एक माह की अवधि के भीतर-भीतर तक कार्यग्रहण करना होगा। उक्त अवधि में कार्यभार न संभालने की दशा में उनके नियुक्ति आदेश निरस्त कर दिये जायेंगे।

उपरोक्त चिकित्सकों को प्रथमतः अपनी उपस्थिति संबंधित जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को देनी है, सीधे ही पदस्थापन के स्थान पर कार्यग्रहण नहीं करना है।

जो चिकित्सक पूर्व में तदर्थ/समेकित वेतन पर कार्यरत हैं वे अपना चार्ज संभलाकर कार्यमुक्त होकर ही नवीन स्थान पर कार्यग्रहण करेंगे।


इन्हें पद ग्रहण करने के लिये किसी प्रकार का यात्रा भत्ता अनुदेय नहीं है।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1) निजी सचिव, माननीय स्वास्थ्य मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
- 2) निजी सचिव, माननीय चिकित्सा राज्यमंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
- 3) निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग राजस्थान, जयपुर।
- 4) सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
- 5) शासन उप सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग (ग्रुप-2), राजस्थान, जयपुर।
- 6) संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन, संबंधित।
- 7) रजिस्ट्रार, राजस्थान मेडिकल काउंसिल, जयपुर।
- 8) मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी संबंधित को भेजकर लेख है कि अभ्यर्थियों के कार्यग्रहण के समय संतानों के संबंध में वचन पत्र एवं यदि शादि शुदा हो तो मेरिज सर्टिफिकेट प्राप्त कर मूल ही अभ्यर्थी के कार्यग्रहण की सूचना भिजवाने के समय अनिवार्य रूप से साथ में भिजवावें एवं छाया प्रति आपके कार्यालय हेतु रख लें।
- 9) संबंधित चिकित्सक को उनके घर के पते पर रजिस्टर्ड डाक द्वारा।
- 10) संबंधित डीलिंग असिस्टेंट को राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर से प्राप्त मूल आवेदन पत्र मय संलग्न दस्तावेजों के, संबंधित जिला पुलिस अधीक्षक से प्राप्त मूल चरित्र सत्यापन एवं चिकित्सक द्वारा प्रस्तुत सत्यापन रोल आदि सहित।
- 11) आदेश पत्रावली / निजी पत्रावली।


निदेशक (जन स्वा0)

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान, जयपुर।


निदेशक (जन स्वा0)

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान, जयपुर।